2022/217

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– ..... **सहायक कलक्टर** ..... मुकाम– ..... **डीडवाना** .....

प्रार्थी :– पपूराम पुत्र शिवनारायण जाति गुर्जर निवासी बांठड़ी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– उम्मेदी देवी पत्नि सायरराम जाति गुर्जर निवासी बांठड़ी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान वगैराह।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या. **84** सन्–.....**2022**..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
22.04.2022	प्रार्थी पपूराम पुत्र शिवनारायण जाति गुर्जर निवासी बांठड़ी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण उम्मेदी देवी पत्नि सायरराम जाति गुर्जर निवासी बांठड़ी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान वगैराह ने पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाकै सरहद बांठड़ी के खसरा संख्या 55, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 53, 61, 56, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 101, 102, 103 में मौका व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 की धारा 39 की धारा 3(a) की पालना करना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनाँक 21.06.2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	
27/4/22	वकील अप्रार्थी सं. 01 व 02 ने प्रार्थना पत्र पर पत्रावली अवलोकन किया। रजी अवार्ड का बाद खारिज होने तथा बाद खारिज होने [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] खारिज रद्द लगता है। [illegible] पत्रावली [illegible] के अनुसार नियमानुसार निकाल दर्ज हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:08:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner